बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),

पटना – 800001

विज्ञापन सं॰–06/2019 स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में डेन्टिस्ट के रिक्त 01 (एक) (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

2. **वेतनमान**– पे–बैण्ड–9300 –34800/– ग्रेड पे–5400/–(लेवल–09)

3. **शैक्षणिक योग्यता:**– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 की डिग्री। परन्तु स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री धारकों एवं बिहार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर नियुक्त दन्त चिकित्सकों के कार्यानुभव को अधिमानता दी जा सकेगी।

नोट 1:– बी0डी0एस0 डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिग्री यथा एम0डी0एस0 या समकक्ष डिग्री भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

नोट 2:– कार्यानुभव प्रमाण–पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. **उम्र सीमा** –दिनांक– 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **चयन का आधार** – निम्नांकित आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी :–

क्रम सं0	विषय	अंक
01.	बी0डी0एस0 में प्राप्तांक के लिए	50
02.	स्नातकोत्तर एवं उच्चत्तर डिग्री के लिए	10
03.	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)	25
04.	साक्षात्कार के लिए	15
	कुल अंक	**100**

टिप्पणी :–(क) बी0डी0एस0 में प्राप्तांक के लिए अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा–यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50%x0.5=25 अंक दिये जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय बी0डी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा।

(ग) न्यूनतम अर्हतांक (क्वालीफाइंग मार्क्स) 30 होगा।

6. आरक्षण:–

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निम्न तालिका के अनुसार आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–

क्र॰सं॰	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगो को नियमानुसार ही आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार ही आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार ही आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियमानुसार ही आरक्षण देय होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

7. शुल्क :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 100/– (एक सौ) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 25/– (पच्चीस) रूपये

(iii) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 25/– (पच्चीस) रूपये

(iv) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 100/– (एक सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैः– (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	05.11.2019 से 18.11.2019 तक
2.	ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि	21.11.2019 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	26.11.2019 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	10.12.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट–1: जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

नोट–2: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन **Application Form** भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक– 21.11.2019 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगें कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा **अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

9. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक–10.12.2019 के अपराहन 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों को स्व–अभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगेः–**

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(b) बी0डी0एस0 के प्रत्येक वर्ष का अंक पत्र (पास अथवा फेल दोनों स्थिति में);

(c) बी0डी0एस0 डिग्री का प्रमाण–पत्र;

(d) विज्ञापन की कंडिका–3 के अनुरूप स्नातकोत्तर का प्रमाण–पत्र;

(e) विज्ञापन की कंडिका–3 में वर्णित बी0डी0एस0 एवं स्नातकोत्तर की डिग्री का भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता का प्रमाण–पत्र;

(f) Attempt प्रमाण पत्र, कितने प्रयास में बी0डी0एस0 सफल हुए ;

(g) विज्ञापन की कंडिका–3 के अनुरूप अनुभव का दावा करने की स्थिति में बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक का सक्षम प्राधिकारी से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र;

(h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र;

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(j) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

(k) आयु में छुट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।

आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

10. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

26.10.19

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।